



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 754]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 24, 2014/चैत्र 3, 1936

No. 754]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 24, 2014/CHAITRA 3, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2014

का. आ. 883(अ).—यतः, मै. जी.एम.आर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड (पूर्ववर्ती मै. जी.एम.आर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड), जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में एक गैर सरकारी संगठन है, ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के ग्राम ममीदीपल्ली, जिला रंगा रेडी में विमानन हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 3 के तहत एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 20 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2637 (अ) में 101.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया;

और यतः, केन्द्र सरकार ने दिनांक 3 मार्च 2010 की फा. स. एफ.1/12/2007—एसईजेड द्वारा मै. जी.एम.आर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से जी.एम.आर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड को औपचारिक अनुमोदन के अंतरण हेतु अनुमोदन संप्रेषित किया;

और यतः केन्द्र सरकार ने दिनांक 8 अगस्त 2011 के फा. स. एफ.1/12/2007—एसईजेड द्वारा एसईजेड के क्षेत्र को “विमानन” से परिवर्तित कर “मौजूदा हवाई पत्तन में स्थित एसईजेड” करने हेतु अपना अनुमोदन संप्रेषित किया है;

और यतः, मै. जी.एम.आर हैदराबाद एविएशन एसईजेड लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 8.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने उनके दिनांक 07.12.2013 के पत्र संख्या 18792/आईएनएफ/ए2/2006 के तहत प्रस्ताव को अनापति प्रमाणपत्र दे दिया है;

और यतः विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 8.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है।

और यतः केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 8.92 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाण: कुल क्षेत्र 93 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात्:—

अनधिसूचित क्षेत्र के लिये तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नम्बर	अधिसूचित क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनधिसूचित होने वाला क्षेत्रफल (एकड़ में)	परिमाणी क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	ममीदीपल्ली	97/p	4.47	0	4.47
2		98/p	12.60	0.63	11.97
3		99/1/p	228.71	21.42	207.29
4		133/p	1.44	0	1.44
5		134/p	4.63	0	4.63
		कुल	251.85 एकड या 101.92 हेक्टेयर	22.05 एकड या 8.92 हेक्टेयर	229.8 एकड या 93.00 हेक्टेयर

[फा. सं. एफ. 1/12/2007—एसईजेड]
राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2014

S.O. 883 (E).—WHEREAS, M/s. GMR Hyderabad Aviation SEZ Limited (Formerly M/s. GMR Hyderabad International Airport Limited) a private organisation in the State of Andhra Pradesh, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for Aviation at Village Mamidipally, District Ranga Reddy in the State of Andhra Pradesh;

And, Whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified the areas of 101.92 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification numbers S.O. 2637 (E) dated 20th October, 2009 respectively;

And Whereas, the Central Government, vide F. No. F.1/12/2007-SEZ dated 3rd March, 2010 conveyed the approval for transfer of formal approval from M/s. GMR Hyderabad International Airport Limited to M/s. GMR Hyderabad Aviation SEZ Limited;

And Whereas, the Central Government, vide F. No. F.1/12/2007-SEZ dated 8th August, 2011, had conveyed the approval for change of Sector of the SEZ from ‘Aviation’ to ‘SEZ in an existing Airport’;

And, Whereas, M/s. GMR Hyderabad Aviation SEZ Limited, has now proposed for de-notification of 8.92 hectares at the above Special Economic Zone and the State Government of Andhra Pradesh has given its “No Objection” to the proposal vide letter No. 18792/INF/A2/2006 dated 07.12.2013;

And Whereas, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 8.92 hectares of the Special Economic Zone;

And, Whereas, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of **8.92** hectares, thereby making resultant area as **93** hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:—

TABLE FOR DENOTIFICATION AREA

S. No.	Village Name	Survey No.	Present area (in Acres)	De-notified area (in Acres).	Resultant Area (in acres)
1	Mamidially	97/p	4.47	0	4.47
2		98/p	12.60	0.63	11.97
3		99/1/p	228.71	21.42	207.29
4		133/p	1.44	0	1.44
5		134/p	4.63	0	4.63
		Total	251.85 Acres or 101.92 hectares	22.05 Acres or 8.92 hectares	229.80 Acres or 93.00 Hectares

[F. No. F. 1/12/2007-SEZ]
RAJEEV ARORA, Jt. Secy.